

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
वैशाली, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पटना एवं नवादा।

पटना-15, दिनांक-30-08-16

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मॉग संख्या-40 विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल 5,49,909/- (पाँच लाख उनचास हजार नौ सौ नौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत निम्नांकित कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में संबंधित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 5,49,909/- (पाँच लाख उनचास हजार नौ सौ नौ) रुपये मात्र निम्नलिखित रूप से आवंटित की जाती है :-


क्र0 सं0	कर्मि का नाम, कार्यालय एवं जिला का नाम	पदनाम	स्वीकृत्यादेश	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	श्री शम्भू शरण प्रसाद, अंचल कार्यालय महुआ, वैशाली।	राजस्व कर्मचारी	विभागीय स्वी0 सं0-345(4) दिनांक-17.05.2016	1,11,033/-
2	श्री कृष्णनन्दन बैठा, पताही अंचल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	लिपिक	सामान्य प्रशासन के स्वी0 सं0-131 दिनांक-05.01.2016	1,82,335/-
3	श्री हरिनारायण पासवान, जिला-गोपनीय शाखा, पटना।	माली	समाहरणालय पटना के आदेश सं0-3258 दिनांक-21.09.2013	14,220/-
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला-राजस्व अभिलेखागार, पटना।	लिपिक	सामान्य प्रशासन के स्वी0 सं0-8586 दिनांक-15.06.2016	97,864/-
5	श्री शम्भू शरण, अंचल, कार्यालय कौआकोल, नवादा।	राजस्व अधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी	विभागीय स्वी0 सं0-206(3) दिनांक-18.05.2016	1,44,457/-
			कुल	5,49,909/-

(पाँच लाख उनचास हजार नौ सौ नौ) रुपये मात्र

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी।

3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि० (2)दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले महीने के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स/
ई-मेल

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
वैशाली, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पटना एवं नवादा।

पटना-15, दिनांक-

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल 5,49,909/- (पाँच लाख उनचास हजार नौ सौ नौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत निम्नांकित कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में संबंधित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 5,49,909/- (पाँच लाख उनचास हजार नौ सौ नौ) रुपये मात्र निम्नलिखित रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0 सं0	कर्मि का नाम, कार्यालय एवं जिला का नाम	पदनाम	स्वीकृत्यादेश	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	श्री शम्भू शरण प्रसाद, अंचल कार्यालय महुआ, वैशाली।	राजस्व कर्मचारी	विभागीय स्वी0 सं0-345(4) दिनांक-17.05.2016	1,11,033/-
2	श्री कृष्णनन्दन बैठा, पताही अंचल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	लिपिक	सामान्य प्रशासन के स्वी0 सं0-131 दिनांक-05.01.2016	1,82,335/-
3	श्री हरिनारायण पासवान, जिला-गोपनीय शाखा, पटना।	माली	समाहरणालय पटना के आदेश सं0-3258 दिनांक-21.09.2013	14,220/-
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला-राजस्व अभिलेखागार, पटना।	लिपिक	सामान्य प्रशासन के स्वी0 सं0-8586 दिनांक-15.06.2016	97,864/-
5	श्री शम्भू शरण, अंचल, कार्यालय कौआकोल, नवादा।	राजस्व अधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी	विभागीय स्वी0 सं0-206(3) दिनांक-18.05.2016	1,44,457/-
			कुल	5,49,909/-

(पाँच लाख उनचास हजार नौ सौ नौ) रुपये मात्र

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी।

3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि० (2)दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

5 राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले महीने के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/
सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-3 एवं 4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 19(5)...../रा०, पटना-15, दिनांक :- 30-09-16
प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।